राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0–02 / परी0–01(राज0)–13 / 2023– 103

पटना, दिनांक– 12-01-2024

आदेश

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रायः विभिन्न आवेदकों के विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (Certificate) में संशोधन के संबंध में आवेदन–पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसके संबंध में राजस्व पर्षद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

1. विभागीय परीक्षा में शामिल होने हेतु पदाधिकारी / कर्मी अपना निबंधन (Registration) कराते हैं। निबंधन के क्रम में उनके द्वारा दर्ज सूचना के आधार पर ही राजस्व पर्षद द्वारा उनके विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (Certificate) निर्गत किया जाता है। पदाधिकारी के द्वारा निबंधन के समय विभाग के संबंध में दी गयी सूचना के अनुसार निर्गत प्रमाण–पत्र में बाद के पदस्थापना के अनुसार प्रमाण–पत्र में तत्समय के विभाग अथवा मूल विभाग को अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. नयी सेवा में पदाधिकारी के योगदान के उपरांत मूल प्रमाण–पत्र में पदाधिकारी के विभाग और पदनाम को नयी सेवा के अनुसार विभाग एवं पदनाम को अंकित करते हुए नये प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कोई औचित्य नहीं है। पदाधिकारी / कर्मी अपने विभाग में तत्समय के प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं और संबंधित विभाग के द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

3. सेवा में परिवर्तन के उपरांत नयी सेवा हेतु पुनः परीक्षा देने के लिए पदाधिकारी / कर्मी पुनः निबंधन (Re-registration) हेतु बिपार्ड से अनुरोध कर सकते हैं तथा बिपार्ड द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर परीक्षा का प्रावधान किया जायेगा।

4. बिपार्ड द्वारा कर्मियों के निबंधन फॉर्म में वर्तमान पदनाम के साथ–साथ नियुक्ति से संबंधित मूल विभाग का सूचना अंकित कराया जाय।

5. आदेश के प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार,

विश्वासभाजन

12/1/2024

सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

12/01/24